

प्रेषक:

श्री. राम कुमार,
निर्देशक शिक्षा,
राज्य प्रथम शाला ।

सेवा में

शुभिय,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
एन-2 सड़क, एन,
प्रतिष्ठान, नई दिल्ली ।

विषय: अनुभाग

तखनक: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2001

विषय:- सेक्रेड हार्टस पब्लिक स्कूल बरेली को सी०पी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह बहने का निर्देश हुआ है कि सेक्रेड हार्टस पब्लिक स्कूल बरेली को सी०पी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रसिद्धियों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सहायकता का समय-समय पर अंकीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केंद्रिय स्तर पर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकायमिशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहस्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
 - 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
 - 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
 - 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
 - 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्व निर्भोजन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। रामकुमार ।
विशेष सचिव ।

पृ०सं०- १५३६

111/15-7-तद् दिन तक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ स्वयं अस्तव्यक्त कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **बरेली** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **बरेली** ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **सेक्रेड हार्ट्स मायिकल स्कूल बरेली** ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा से,

। अजित कुमार गुप्त ।
अनु सचिव ।